<u>न्यायालयः विशिष्ठ न्यायाधीश, एन0डी0पी0एस0 मामलात, बारां जिला बारां।</u>

पीठासीन अधिकारी : प्रमोद कुमार शर्मा, आर.जे.एस. (डी0जे0 केडर)
आपराधिक विविध सं0 : 66/2026
सीआईएस नम्बर : 168/2026

विशाल गोचर उर्फ विक्की पुत्र बाबूलाल उम्र 28 वर्ष निवासी सिंघी वालों के मकान के पीछे, बमोरी अंता पुलिस थाना अंता जिला बारां (राज0)

-प्रार्थी/अभियुक्त-

- <u>बनाम</u> -

राजस्थान सरकार जरिये विशिष्ठ लोक अभियोजक, बारां -अप्रार्थी/विपक्षी-

जमानत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा **483 बी0एन0एस0एस0**
एफ.आई.आर. नं. 36/2026, पुलिस थाना अन्ता
जुर्म धारा 8/21, 8/30 एन.डी.पी.एस. एक्ट व धारा 27
<u>औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम 1940</u>

उपस्थितः -
1- श्री विजयसिंह चौहान, अधिवक्ता-प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से।
2- विशिष्ठ लोक अभियोजक-राज्य की ओर से।

- <u>आदेश</u> - दिनांकः- 11.03.2026

1- प्रार्थी/अभियुक्त विशाल उर्फ विक्की की ओर से धारा 483 बी0एन0एस0 एस0 के प्रावधान के अंतर्गत यह जमानत प्रार्थना पत्र पुलिस थाना अन्ता की प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 36/2026 के संदर्भ में प्रस्तुत किया गया। जमानत आवेदन की नकल विद्वान विशिष्ठ लोक अभियोजक को दिलाई गई एवं बहस सुनी गई।

2- दौराने बहस प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से विद्वान अधिवक्ता ने तर्क किये हैं कि प्रार्थी/अभियुक्त का अपराध से कोई संबंध नहीं है। दूसरे मुलजिम के बताने के आधार पर प्रार्थी/अभियुक्त को झूंठा फंसाया गया है। प्रार्थी से कोई अनुसंधान शेष नहीं है। प्रकरण के अनुसंधान एवं विचारण में समय लगने की संभावना है। अंत में प्रार्थी/अभियुक्त का जमानत आवेदन पत्र स्वीकार किये जाने की प्रार्थना की गई।

3- विद्वान विशिष्ट लोक अभियेाजक की ओर से उक्त तर्कों का विरोध करते हुए प्रार्थी/अभियुक्त के विरूद्ध गंभीर अपराध होने के आधार पर जमानत आवेदन पत्र निरस्त किये जाने की प्रार्थना की गयी एवं प्रार्थी के विरूद्ध पूर्व का निम्न आपराधिक रिकॉर्ड होना जाहिर किया गयाः-

क्रम सं0	मुकदमा सं0 मय थाना	धारा	चार्जशीट नंबर	प्रकरण की वर्तमान स्थिति
01	10/2025 थाना अंता	8/21 एनडीपीएस एक्ट	190/21-08-25	पैन्डिग कोर्ट
02	124/2025 थाना बोरखेडा कोटा	8/21, 29 एनडीपीएस एक्ट	147/07-11-25	पैन्डिग कोर्ट
03	37/2026 थाना अंता	8/21 एनडीपीएस एक्ट	-	पैन्डिग अनुसंधान

4- उभय पक्ष के तर्कों पर मनन किया गया। पुलिस थाना मांगरोल की ओर से प्रेषित अनुसंधान पंजिका एवं तथ्यात्मक रिपोर्ट का अवलोकन व अध्ययन किया गया। अवलोकन से यह प्रक्ट हुआ है कि पुलिस थाना अंता के प्रभारी उपनिरीक्षक द्वारा दिनांक 03.02.2026 को गश्त चैकिंग करने के दौरान पचेलकला में झाडियों के पीछे दो व्यक्ति मय मोटरसाईकिल के मिलने पर संदेह के आधार पर उनकी तलाशी लिये जाने पर सह अभियुक्त लेखराज के कब्जे से मादक पदार्थ स्मैक 11 ग्राम 50 मिलीग्राम, एविल औषधि के 48 इन्जेक्शन एवं कई इन्जेक्शन सिरिंज तथा इसी प्रकार अन्य सह अभियुक्त सुरेन्द्र के कब्जे से ऐविल नामक औषधि के इन्जेक्शन के 23 इन्जेक्शन तथा मादक पदार्थ स्मैक 9 ग्राम 17 मिलीग्राम मात्रा मय इन्जेक्शन सिरिंज बरामद होना पाये जाने पर यह प्रकरण दर्ज किया गया है,जिसमें अनुसंधान के दौरान पुलिस द्वारा प्रार्थी/अभियुक्त को मादक पदार्थ स्मैक का विक्रय सह अभियुक्तगण को किये जाने के आरोप हेतु अपराध धारा 8/29 एन.डी.पी.एस. एक्ट में गिरफतार किया गया है। इस प्रकार प्रार्थी/अभियुक्त के विरूद्ध काफी अधिक मात्रा में मादक पदार्थ स्मैक का विक्रय अन्य अभियुक्तगण को किये जाने के गंभीर अपराध का आरोप है, जिनके द्वारा उक्त मादक पदार्थ को एविल नामक दवा के इन्जेक्शन के साथ मिलाकर नशे के आदि व्यक्तियों को लगाया जाना एवं विक्रय किया जाना बताया गया है। प्रार्थी/अभियुक्त के विरूद्ध पूर्व का जो आपराधिक रिकॉर्ड प्रस्तुत किया गया है, उसके अनुसार प्रार्थी/अभियुक्त के विरूद्ध इस प्रकरण के अतिरिक्त तीन अन्य आपराधिक मामले दर्ज एवं लंबित होना बताये गये हैं जो सभी इसी प्रकृति के आपराधिक मामलों से संबंधित है। इस प्रकार प्रार्थी/अभियुक्त को पूर्व में इसी प्रकृति के अपराधों में गिरफतार होने एवं जमानत पर रिहा किये जाने के बावजूद प्रार्थी/अभियुक्त का पुनः इसी प्रकृति के अपराधों में संलिप्त होना बताया गया है। प्रकरण वर्तमान में अनुसंधान के आरंभिक स्तर पर है। पिछले कुछ समय से अवैध मादक पदार्थों के व्यापार, तस्करी के मामलों में काफी अधिक वृद्धि हुई है। इस प्रकार के अपराधों से समाज के युवा वर्ग को नशे की लत में लेने का गंभीर खतरा विद्यमान है।

अतः प्रकरण के समस्त तथ्यों, परिस्थितियों, अपराध की प्रकृति एवं

प्रार्थी/अभियुक्त के आपराधिक रिकॉर्ड आदि को दृष्टिगत रखे जाने के उपरांत यह न्यायालय प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत यह जमानत आवेदन स्वीकार किया जाना न्यायोचित नहीं पाता है।

5- परिणामतः प्रार्थी/अभियुक्त **विशाल उर्फ विक्की गोचर** की ओर से प्रस्तुत किया गया जमानत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 483 बी0एन0एस0एस0 अस्वीकार कर खारिज किया जाता है।

(प्रमोद कुमार शर्मा)
विशिष्ठ न्यायाधीश,
एन0डी0पी0एस0 मामलात,
बारां जिला बारां (राज0)

6- आदेश आज दिनांक 11.03.2026 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया व हस्ताक्षरित किया गया।

(प्रमोद कुमार शर्मा)
विशिष्ठ न्यायाधीश,
एन0डी0पी0एस0 मामलात,
बारां जिला बारां (राज0)

RAFIK ALI
Steno Gr. I
"Authenticate Document"
Digitally signed by RAFIK ALI